भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 500

दिनांक 19.12.2017/28 अग्रहायण, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

शरणार्थियों हेतु सुविधाएं

†500. डॉ॰ उदित राजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान के लगभग 483 हिन्दू नागरिकों ने भारत में प्रवेश किया था और वे मजनू का टीला, कंझावला, आजादपुर, बृजवासन और फरीदाबाद जैसे दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में रह रहे हैं और उन्हें कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कार्रवाई की गई है?
उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ख): उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 में हिंदू समुदाय से संबंधित 483 पाकिस्तानी राष्ट्रिक दिल्ली आए थे। इन 483 राष्ट्रिकों में से 99 पाकिस्तान चले गए, 01 का देहावसान हो गया और शेष 383 अभी भी दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) पर दिल्ली में रह रहे हैं। सरकार ने एलटीवी पर भारत में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। इनमें पूर्णतया गैर-सरकारी प्रकृति के रोजगार में स्वयं को शामिल करना, शैक्षणिक संस्थानों में उनके बच्चों का प्रवेश, स्व-रोजगार चलाने के लिए रिहायशी यूनिट एवं आवास की खरीद आदि शामिल हैं।